

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

गिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

86 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020

11.12.2020

09.04.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

**बनाम**

1-श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू एफ.वी.ओ. मैसर्स राजू लाल कन्हैयालाल बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 11 पुलिस थाने के पास देवली जिला टोंक राज0

2- मैसर्स राजू लाल कन्हैयालाल बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (v) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011 उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थीगण उपस्थित

**:-निर्णय:-**

दिनांक 09.04.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.09.2020 को समय 1.52 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राजू लाल कन्हैयालाल बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू एफ.वी.ओ. मैसर्स राजू लाल कन्हैयालाल बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 11 पुलिस थाने के पास देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जगता को विक्रय हेतु दुकान में हल्दी पावडर खुला (Turmeric powder Loose) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कथ करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजेन्द्र कुमार साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 12 किलोग्राम हल्दी पावडर खुला (Turmeric powder Loose) रखे हुये मे से 2 किलोग्राम को वास्ते नमूना जांच



1192

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रता श्री राजेन्द्र कुमार साहू को रु0 240/- अक्षरे दौं सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिसे पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा हल्दी पावडर खुला (Turmeric powder Loose) 2 किलोग्राम को अलग-अलग साफ व सूखी पॉलीथीन में 500-500 ग्राम बाट मापक से तुलवाकर पॉलीथीन में भरकर पॉलीथीन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बंद किया व चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बों में अलग-अलग भरकर प्रत्येक पॉलीथीन को कागज के डिब्बे में रखकर डिब्बे के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2588 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2588 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता राजेन्द्र कुमार साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारो नमूना भागों को अपने जापेटे में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर बड़े नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3877 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1311/एक्ट/2020/1386 दिनांक 12.10.2020 अनुसार राजेन्द्र कुमार साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया हल्दी पावडर खुला (Turmeric powder Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार कान्द्रावेन (Contravene) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कान्द्रावेन (Contravene) स्तर का हल्दी पावडर खुला (Turmeric powder Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लंघन किया है जिसका



जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस हल्दी पावडर खुला (Turmeric powder Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में कान्द्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया हल्दी पावडर खुला (Turmeric powder Loose) का नमूना जांच में कान्द्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स राजू लाल कन्हैयालाल बस स्टैंड के बाहर देवली जिला टोंक राज0 निवारी वार्ड नं. 11 पुलिस थाने के पास देवली जिला टोंक राज0 पर शारित 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.04.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(मुरारी लाल हर्मा)  
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0